न्यायालय उपजिलाधिकारी, बलिया।

वाद सं0 45/2016 धारा-143 ज0वि0अधि0

मौजा- नसीरपुर मठ मु0 रामगढ़ परगना-गढ़हा

महन्थ महादेव भारती विकास संस्थान बनाम सरकार।

आदेश

यह वाद प्रार्थी ओम प्रकाश सिंह, सचिव, महन्थ महादेव भारती विकास संस्थान नसीरपुर मठ जिला-बलिया के प्रार्थना पत्र दि0 13.03.2016 के क्रम में तहसीलदार, बलिया की प्राप्त आख्या जो पत्रावली में संलग्न है, के आधार पर संस्थित किया गया है। प्रार्थी का कथन है कि मौजा- नसीरपुर मु0 रामगढ़ ग्राम- नसीरपुर परगना-गढ़हा के खाता/गाटा सं0 84 मि. में महन्थ महादेव भारती विकास संस्थान नसीरपुर मठ के नाम रकबा 2.034हे0 भूमि लीज के रूप में 30 वर्ष के लिए दर्ज है, उक्त भूमि पर एक वर्ष पूर्व से संस्थान का व्यवसायिक भवन निर्माणाधीन है। उक्त भूमि अकृषित घोषित किया जाय। नियमानुसार वाद संस्थित कर प्रतिपक्षी को नोटिस निर्गत किया जो वाद तामिला पत्रावली में संलग्न है। प्रतिवादी पक्ष की ओर से कोई प्रतिवाद नहीं है। अतएव प्रश्नगत प्रकरण में तहसीलदार बलिया की प्राप्त आख्या 17.03.2016 से सहमत होकर मौजा- नसीरपुर मठ मु0 रामगढ़ की गाटा सं0 84 रकबा 2.034 हे0 भूमि अकृषित घोषित किया जाता है। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली राजस्व अभिलेखागार में संग्रहित होवे।

17/03/016

(के0पी0 सिंह)
उपजिलाधिकारी, बलिया

उपजिलाधिकारी सदर बलिया

26/03/016
29/03/016
04/04/016
04/04/2016